



Reimagine Education for India's future

Elitist focus on pools of excellence will not do

ET Editorials

Education figures on Lists I, II and III of the Constitution of India, namely the list of subjects of the Centre, the states and of both. Over the years, education has spread in the country: almost all children of school-going age are in school, more of them complete schooling and a quarter of those who complete secondary school go on to college. However, this happy story in quantitative expansion turns into a dreary tale of unemployability, stifled creativity and rote learning, when it comes to quality in education. For India to be competitive in the globalised economy that is taking shape right now, it is vital to tackle the quality deficit in education. And it has to begin at the school level, given India's commitment to democracy.

In a context of unbridled elitism, it would be fine to restrict quality to a few select institutions that cater to the elite while hoi polloi make do with a smattering of learning to be picked up from rudimentary schools where teachers who barely know better than their students pass on their ignorance in ways that eviscerate the term, pedagogy. Unfortunately, such a description fits the kind of education India has at present. For this to change, India has to spend better, rather than more, invest in building pre-school human capacity, essentially nutrition and mental stimulation of the children of materially and culturally deprived parents, and step up teacher training. Increasing allocations to higher education without improving quality at the school level only serves to save the elite the financial burden of sending their children to foreign universities.

State spending on higher education must increasingly take the form of research support, freeships and scholarships and underwriting of liberal student loans. Colleges must mobilise the bulk of their budget — as fees, gifts and bequests from alum and sponsorship of research by companies. It is not just science, technology, engineering

and maths that matter. Only creative people can thrive in and build the new economy. The humanities and social sciences matter as much.

खत्म करें ऐंजल टैक्स

बिज़नेस स्टैंडर्ड

संपादकीय

खबर है कि सरकार स्टार्टअप के लिए आयकर छूट पाने की निवेश सीमा में बढ़ोतरी और ज्यादा स्पष्ट परिभाषा की योजना बना रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 'ऐंजल टैक्स' की गुत्थी सुलझाने के लिए कार्यबल गठित करने का फैसला किया है। ये स्वागत योग्य कदम हैं क्योंकि ये इस बात का संकेत हैं कि नीति निर्माता आयकर अधिनियम की धारा 56(2) से पैदा होने वाली दिक्कतों को लेकर सजग हैं। हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस धारा के तहत कर मांगों को लेकर कार्रवाई सुस्त करने का फैसला किया है लेकिन 2,000 से अधिक स्टार्टअप को पहले ही आयकर नोटिस मिल चुके हैं।

पिछले सप्ताह दो स्टार्टअप ने शिकायत की कि कर विभाग ने उनकी कंपनी के खाते फ्रीज कर दिए हैं और ऐंजल टैक्स की मांग का पैसा खाते से निकाल लिया है। हालांकि सीबीडीटी ने बाद में इससे इनकार किया लेकिन स्टार्टअप में डर बना हुआ है। हालांकि इस समस्या का स्थायी समाधान इस विवादास्पद धारा को खत्म करना है। उद्योग से जुड़े लोगों, कर विशेषज्ञों और खुद डीपीआईआईटी ने इस धारा को रद्द करने की सिफारिश की है।

सरकार की यह योजना कागजों में तो अच्छी नजर आ रही है कि वह स्टार्टअप की एक परिभाषा लेकर आएगी, लेकिन यह काम मुश्किल साबित हो सकता है। इस धारा में समस्या कुछ शेयरधारकों के स्वामित्व वाली उन गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर कर की अवधारणा से होती है, जो 'उचित कीमत' से ऊपर शेयर जारी करती हैं। शेयर की कीमत और 'मूल्यांकन' के बीच अंतर पर आय के रूप में कर लगाया जाता है। माना जाता है कि इस प्रावधान से धन शोधन रुकेगा और शेल कंपनियों में गलत तरीके से लगाए जा रहे पैसे की पहचान हो सकेगी। दुर्भाग्य से स्टार्टअप के मूल्यांकन का कोई पुख्ता और स्टीक नियम नहीं

है। सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में मूल्यांकन और भी मुश्किल है, जहां नए कारोबारों में पूंजीगत संपत्तियां कम होती हैं।

ऐंजल निवेशक स्टार्टअप में निवेश करते समय भविष्य की वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए कला और विज्ञान दोनों का इस्तेमाल करते हैं। उद्यमी और निवेशक ज्यादा जोखिम और ज्यादा प्रतिफल के इस समीकरण को स्वीकार करते हैं। बार-बार कर नोटिसों के कारण पहले से ही अधिक जोखिम वाले क्षेत्र पर अनावश्यक दबाव और बढ़ जाता है। यह धारा इसलिए भी पक्षपाती है क्योंकि विदेश से पूंजी जुटाने वाली स्टार्टअप इस जांच के दायरे में नहीं आती हैं। इस धारा के खाके और मूल्यांकन का आकलन करने वाले अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों को देखते हुए भारत में धन जुटाने वाली स्टार्टअप को कर नोटिस मिलने की ज्यादा संभावना होती है। अनुमान है कि भारतीय निवेशकों की मौजूदगी वाली 70 फीसदी से अधिक स्टार्टअप को आईटी नोटिस मिल चुके हैं। छूट की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसमें आवेदन और बहुत से दस्तावेज डीपीआईआईटी को जमा कराने होते हैं, जिसे सीबीडीटी को छूट की सिफारिश करने का विवेकाधिकार है। इस धारा में संशोधन कर इससे स्टार्टअप को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है।

कागजों में नई पंजीकृत शेल कंपनी और असल स्टार्टअप में तब तक अंतर नहीं किया जा सकता, जब तक कि स्टार्टअप राजस्व सृजित करना शुरू नहीं कर देती है। देश में धन शोधन की पहचान के लिए आजमाए हुए तरीके मौजूद हैं। सरकार का दावा है कि वह पिछले चार वर्षों में लाखों शेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर चुकी है। धन शोधन और कर वंचना ऐसी नुकसानदेह गतिविधियां हैं, जिन्हें खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन कारोबारी गतिविधियों में तेजी और रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप तंत्र बहुत जरूरी है। अगर कर प्रताड़ना के इस रूप से स्टार्टअप को बाहर नहीं किया जा सकता तो ऐंजल टैक्स की धारा को खत्म किया जाना चाहिए।